Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं0 / Ref. No. 100/OA-41/20

दिनांक / Date 18/06/2020

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub: Compliance report pursuant to the order dated 17.02.2020 in O.A. No. 41/2020 in the matter of Pushpendra Kumar Vs Nagar Panchyat Kadaura & Ors.

Sir,

In compliance of order dated 17.02.2020 passed by Hon'ble Tribunal in O.A. No. 41/2020 in the matter of Pushpendra Kumar Vs Nagar Panchyat Kadaura & Ors, the compliance report is enclosed herewith.

It is requested that the compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Niranjan Sharma)
Regional Officer

उ. प्र. आवास विकास कालौनी, (तालपुरा योजना) कानपुर रोड, झाँसी– 284001
U. P. Avas Vikas Colony (Talpura Yojana) Kanpur Road, Jhansi (U.P.) - 284001

Inspection Report in the matter of Hon'ble NGT original Application No-41/2020 (Pushpendra Kumar, Versus Nagar Panchayat Kadaura and others) District Jalaun U.P.

The operative part of Hon'ble NGT Order dated 17.02.2020 in the matter of O.A No 41/2020 (Pushpendra Kumar, Versus Nagar Panchayat Kadaura and others) is as follows :

"...... Let the District Magistrate Jalaun, Orai, UP-285203 and Uttar Pradesh Pollution Control Board Furnish a factual and action taken report in the matter......."

In compliance of above mentioned order, committee comprising of Sub Divisional Magistrate Kalpi, Executive officer Nagar Panchayat Kadaura District Jalaun and Regional Officer UPPCB Jhansi, visited the Sadar Talab of Kadaura on 27.02.2020.

The salient points of observations by the Committee are as following-

1. It was observed that the catchment area of pond is not in original shape and size due to encroachment by the local residents of Kadaura.
2. The Sadar Talab Kadaura is fully covered by the vegetation of Jal Kumbhi. Sewage of Kadaura Nagar Panchayat is being disposed off into Sadar Talab due to which the water quality of Sadar Talab is affected. At the time of inspection a sample of stored talab water has been collected by the officers of above noted Joint committee. As per analysis report, the characteristics of water pollutants parameters are above the limit of prescribed standards and the dissolved oxygen is 0.7 mg/l against prescribed limit of 2.0-14.0 mg/l. The water quality of Sadar Talab is very poor due to discharge of Sewage and domestic waste water (Analysis report is attached)..
3. U.P. Pollution Control Board has given notice to executive officer, Nagar Panchayat, Kadaura vide letter dated 03.03.2020 to take immediate steps for control of sewage and domestic effluent being discharge into Sadar Talab without effective treatment. In compliance of the directions, the Executive Officer, Nagar Panchayat, Kadaura vide letter No-575/NP Kadaura/2020 dated 03-03-2020 has

informed that Nagar Panchayat Kadaura is a small local body and will install STP as soon as budget is sanctioned in future. Similarly, action plan for construction of MRF centre for solid waste management has been sent to District Magistrate for approval. Action will be taken as soon as action plan is approved. So that scientific disposal of solid waste could be ascertained.

4. The Executive Officer, Nagar Panchayat, Kadaura vide letter no. 690/NP Kadaura/2020-21 dated 17.06.2020 has informed that at present the drain carrying sewage and domestic waste water has been temporarily tapped and no effluent is being discharged into Sadar Talab of Kadaura. They have also issued notice to nearby habitants for removal of encroachment and further steps regarding removal of encroachments could not be done due to covid-19 lockdown.
5. U.P. Pollution Control Board has also issued direction under section 33-A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 vide letter dated 26.09.2017 to Executive Officer, Nagar Panchayat, Kadaura to setup STP of adequate capacity for treatment of domestic effluent generated from Nagar Panchayat, Kadaura. U.P. Pollution Control Board vide letter no. 99/OA-41/20 dated 18.06.2020 has issued show cause notice for imposition of environmental compensation of Rs. 1.82 Crores as Kadura Nagar Panchyat has not installed sewage treatment plant for the treatment of generated sewage. This is very likely that in coming rainy season the sewage mixed rain water can be disposed off in to Sadar Talab of Kadaura in case of overflow from temporary tapping arrangement of drain leading to Sadar Talab.

The inspection report is submitted for kind consideration Please.

18/06/2020

(Niranjan Sharma)
Regional Officer

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं० 974/ OA-41/20 दिनांक 03-03-2020
Ref. No. Date

सेवा में,

जिलाधिकारी,

जालौन, (उ0प्र0)

विषयः— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्या—41/2020 (पुष्पेन्द्र कुमार बनाम नगर पंचायत कदौरा व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 17.02.2020 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अनुपालनात्मक कार्यवाही हेतु पत्रांक 2040 (क)/ए0सी0वी0ए0 दिनांक 26.02.2020 द्वारा सयुंक्त निरीक्षण समिति का गठन किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सम्बन्घ मे सादर अवगत कराना हे कि प्रश्नगत सदर तालाब कदौरा, जालौन का स्थलीय निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उपजिलाधिकारी कालपी एवं, अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा के साथ सयुंक्त रूप से दिनांक 27.02.2020 को किया गया, निरीक्षण के तथ्य निम्नवत है।

1. सदर तालाब कदौरा नगरीय क्षेत्र के मध्य स्थित है जिसमें नगरीय क्षेत्र का सीवेज मिश्रित घरेलू उत्प्रवाह तथा वर्षा जनित जल भण्डारण होता है।
2. वर्तमान में तालाब में अल्प मात्रा में जल भण्डारण तथा पूरे तालाब क्षेत्र में जलकुम्भी से भरा होना पाया गया है। तालाब के आंशिक भूक्षेत्र पर स्थानीय निवासीयो द्वारा अवैध कब्जा कर भवन इत्यादि निर्माण कर संकुचित कर दिया गया है। मौके पर उपजिलाधिकारी कालपी द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल को पैमाइश किये जाने तथा अवैध कब्जाधारको से भूक्षेत्र को (अतिक्रमणमुक्त) किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
3. तालाब के वर्तमान कैचमैंट एरिया में भण्डारित सीवेज मिश्रित जल की गुणता सत्यापन हेतु जल नमूना एकत्रण किया गया तथा केन्द्रीय प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय लखनऊ में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया है। विश्लेषण आख्या अपेक्षित है।
4. स्थल पर जल गुणता अर्न्तगत पाया गया कि तालाब के जल में वर्तमान में धुलित आक्सीजन की मात्रा अत्यन्त न्यूनतम परीक्षण हुई है तथा जलीय जीवजन्तु के विचरण एवं पौषण हेतु उचित प्रकार की नही है। जल गुणता की वास्तविक स्थिति विश्लेषण पश्चात् ही ज्ञात हो सकेंगी।
5. अतिक्रमण मुक्ति पश्चात् तालाब के वाउन्ड्री किनारे संघन वृक्षारोपण, पक्षी प्रवास हेतु माउण्ड, वर्षा जनित जल संग्रहण हेतु समुचित इनलैट आदि वन विभाग के अभिमतानुसार कार्ययोजना तैयार किया जाना अपेक्षित है।

उ. प्र. आवास विकास कालौनी, (तालपुरा योजना) कानपुर रोड, झाँसी— 284001
U. P. Avas Vikas Colony (Talpura Yojana) Kanpur Road, Jhansi (U.P.) - 284001

माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा समय–समय पर (हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य) याचिका अर्न्तगत समय–समय पर आदेश, पारित किये गये है तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा तालाब व पोखरो के अवैध कब्जो के सम्बन्ध में पर्यावरण अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध किया गया है कि अवैध कब्जे के कारण तालाब पोखर की जल ग्रहण क्षमता पर प्रति कूल प्रभाव पड़ता है जो कि अन्ततः जल की उपलब्धता व गुणता कों विपरीत रूप से प्रभावित करता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा जालौन को नगरीय क्षेत्र की सीवेज को तालाब में निस्तारण होने से रोके जाने तथा उपजिलाधिकारी कालपी को अतिक्रमण हटवाऐं जाने की कार्यवाही हेतु आदेशित करने का कष्ट करें, सादर प्रेषित।

भवदीय

(निरंजन शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 27.02.2020 को सदर तालाब कदौरा, के निरीक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. उपजिलाधिकारी महोदय कालपी जालौन।
2. जिला वनाधिकारी जालौन स्थान उरई को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत तालाब सौन्दर्यीकरण हेतु प्लांटेशन, पक्षियो के प्रवास आदि सम्बन्धित कार्ययोजना उपजिलाधिकारी, कालपी से समन्वय कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कराने का कष्ट करे।
3. अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगरीय सीवेज, ठोस, अपशिष्ट, प्लास्टिक वेस्ट, गार्बेज इत्यादि को तालाब में प्रवाहित न होने देने की कार्ययोजना एवं प्रभावी क्रियान्वयन आदि की प्रगति आख्या जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं0 / Ref. No. 99/ OA-41/20

दिनांक / Date 18/06/2020

सेवा में, **पंजीकृत**

अधिशाषीअधिकारी,
नगर पंचायत कदौरा,
जनपद–जालौन।

विषयः–**मेसर्स नगर पंचायत कदौरा, जनपद–जालौन के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मेसर्स नगर पंचायत कदौरा, जनपद–जालौन का संयुक्त निरीक्षण उपजिलाधिकारी, कालपी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत कदौरा के साथ दिनांक 27.02.2020 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार नगर पंचायत कदौरा, जनपद–जालौन द्वारा ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से नियमानुसार निस्तारण हेतु ट्रेन्चिग कम्पोस्ट परियोजना की स्थापना नहीं की गयी है। नगर पंचायत, कदौरा सीमा क्षेत्र से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को यत्र–तत्र भण्डारित किया जा रहा है। निरीक्षण दिनांक 27.02.2020 के दौरान पाया गया कि सदर तालाब जोकि नगरीय क्षेत्र में स्थित है, तथा नगरीय क्षेत्र का सीवेज मिश्रित घरेलू उत्प्रवाह तथा वर्षा जनित जल भण्डारण होता है। तालाब के वर्तमान कैचमेंट एरिया में भण्डारित सीवेज मिश्रित जल का नमूना एकत्र कर केन्द्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कदौरा, जालौन को पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एफ 25631/सी0–2/एमएसडब्लू दिनांक 17.01.2004 द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के अनुपालन हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। प्रश्नगत नगर पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने के दृष्टिगत बोर्ड के पत्रांक 499 दिनांक 13.08.2019 एवं पत्रांक 661 दिनांक 02.12.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है।

संयुक्त निरीक्षण दिनांक 27.02.2020 के दौरान एकत्रित किये गये सदर तालाब कदौरा, जालौन से एकत्रित जल नमूने में प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान निर्धारित मानकों से अनुरूप नहीं होने तथा नगरीय क्षेत्र के घरेलू जल मल को बिना शुद्धिकरण किये ही सदर तालाब कदौरा पर भण्डारित किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 20.03.2020 द्वारा संदर्भित नगर पंचायत कदौरा, जालौन पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवंअन्य मे पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 के अनुपालन में तैयार की गयी गाइडलाइन "Methodology for Assessing Environmental Compensation" के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

संयुक्त निरीक्षण दिनांक 27.02.2020 के समय पाये गये तथ्यों के दृष्टिगत उपरोक्त संस्था पर रू0 1.82882 करोड़ (एक करोड़ बयासी लाख आठ सौ बयासी मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित आंगणित की गयी है।

उ. प्र. आवास विकास कालौनी, (तालपुरा योजना) कानपुर रोड, झाँसी– 284001
U. P. Avas Vikas Colony (Talpura Yojana) Kanpur Road, Jhansi (U.P.) - 284001

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त **नगर पंचायत कदौरा, जनपद–जालौन** के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथसंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न **नगर पंचायत कदौरा, जनपद–जालौन** पर रू0 1.82882 करोड़ (एक करोड़ बयासी लाख आठ सौ बयासी मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार नगर पंचायत कदौरा, जनपद–जालौन के विरूद्ध रूपये 1.82882 करोड़ (एक करोड़ आठ लाख आठ सौ बयासी रू0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्था एवं जिम्मेदार पदाधिकारी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जालौन स्थान–उरई, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी